

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 25/2021 राजस्व अपील

1. किशनलाल पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर निवासी ग्राम गांवडी तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरुद्ध निर्णय उपतहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा निर्णय दिनांक

15.02.2021 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम किशनलाल प्रकरण संख्या 16/2021

अन्तर्गत धारा 91 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

उपस्थिति : श्री पदम सिंह गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित।

: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक: 12.02.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का मरियाडा द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्त ने सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 88/245 रकबा 0.22 है. पर सम्मत 2077 रबी में अतिक्रमण कर काश्त कर ली है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा ने अपीलान्त के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्णय दिनांक 15.02.2021 पारित कर अपीलान्त को कब्जाशुदा आराजी से बेदखल कर 50 गुणा शास्ति आरोपित करते हुये फसल नीलामी करने के आदेश पारित कर दिये एवं अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुये अपीलान्त को 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 15.02.2021 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब कर अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। भूमि जिस पर अपीलान्त का अतिक्रमण बताया गया है वह भूमि अपीलान्त की खातेदारी भूमि से लगती हुई भूमि है, जिस पर अपीलान्त ने मेढबंदी बजमाने बुजुर्गान से ही कर रखी है। अपीलान्त ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का ने भूमि का मौका भी नहीं देखा है ना ही सीमाज्ञान कराया है। अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण भी साबित नहीं है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित किये बिना अपीलान्त को अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तामील/सम्मन दिये ही फैसला सुना दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को जवाब पेश करने का मौका ही नहीं दिया उसी दिन फैसला सुना दिया। प्रश्नगत भूमि अपीलान्त को आवंटित हो चुकी है। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के इस आशय के साथ रिमाण्ड फरमावे की अपीलान्त को साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करे।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Original

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा ग्राम गांवडी में स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नंबर 88 / 245 के रकबा 0.22 है। पर गेहूं की काश्त कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की कैफीयत में पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अपीलान्त को विधिवत नोटिस जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली में अपीलान्त का बेदखलीनामा, फसल नीलामी की रिपोर्ट संलग्न है। अतिक्रमित भूमि के सम्बन्ध में भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही Summary Proceeding है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 15.02.2021 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम कर 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा यह कथन किया गया है कि उक्त भूमि अपीलान्त को आवंटित हो चुकी है जबकि उक्त भूमि आज भी रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का मरियाडा की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 88 / 245 रकबा 0.22 है। भूमि किस्म सिवायचक पर काश्त कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अपीलान्त द्वारा पूर्व में सम्वत 2076 खरीफ व रबी में भी अतिक्रमण किया गया था जिसको बेदखल किया जाना व्यक्त किया गया है। जिससे यह साबित होता है कि अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा अतिक्रमित भूमि का आवंटन अपीलान्त को हो जाने के सम्बन्ध में किये गये कथन के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखली एवं फसल नीलामी की रिपोर्ट संलग्न है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्त स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार की जावे।



(नरेश बुनकर)

अति. जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 12.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नरेश बुनकर)

अति. जिला कलक्टर ,दौसा